प्रैस विज्ञप्ति

दिनांकः 02.08.2019

थाना सिकन्द्राबाद पुलिस की बाइक सवार दो बदमाशों से हुई मुठभेड, पुलिस की जवाबी कार्यवाही में 25000 रूपये का पुरूस्कार घोषित एक बदमाश लोकेश उर्फ भाटी गोली लगने से हुआ घायल, कब्जे से एक मोटर साइकिल व अवैध अस्लाह मय कारतूस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन व सहायक पुलिस अधीक्षक नगर श्री रवीन्द्र कुमार के निकट पर्यवेक्षण मे विगत रात्रि मे प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात श्री अरविन्द कुमार मय पुलिस फोर्स के क्षेत्र मे तलाश वांछित अपराधी एवं संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग मे मामूर थे कि गश्त करते हुए अडौली तिराहे पर पहुंचे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक मोटर साईकिल पर सवार दो बदमाश शहर की तरफ से दोस्तपुर फ्लाईओवर पर आने वाले है जो लूटपाट करने के उद्देश्य से घूम रहे है जिनके पास अवैध अस्लाह भी है। इस सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात मय पुलिस टीम के दोस्तपुर फ्लाईओवर पुल के नीचे चैकिंग करने लगे कि कुछ समय बाद एक मोटर साईकिल आती दिखाई दी जिसको टॉर्च की रोशनी दिखाकर रूकने का इशारा किया गया तो मोटर साईकिल सवार बदमाश पुलिस को देखकर बाइक को पीछे मोडकर भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस टीम द्वारा बदमाशो की घेराबन्दी की गयी तो मोटर साईकिल पर पीछे बैठे बदमाश द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया जिससे उनकी मोटर साईकिल फिसलकर गिर गयी, जिस पर पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायर किए गए, जिसमे बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। बदमाश को घायलावस्था में हिरासत में लेकर उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। उक्त पकड़े गये बदमाश के कब्जे से एक मोटर साईकिल एवं एक तमंचा 315 बोर मय कारतूस बरामद हुए हैं तथा अभियुक्त का साथी अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. लोकेश उर्फ भाटी पुत्र ललित कुमार निवासी ग्राम तैय्यबपुर थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस।
2. एक स्पैलण्डर मोटर साईकिल बिना नम्बर

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त लोकेश उर्फ भाटी शातिर किस्म का अपराधी है जिसके द्वारा अपने साथी गुडडू पुत्र राजकुमार निवासी नेकपुर थाना जहांगीरपुर बुलन्दशहर के साथ मिलकर दिनांक 02.06.19 को थाना शिकारपुर क्षेत्र ग्राम करीरा के जनसेवा केन्द्र से 25000 रूपये लूट लिए थे इस संबंध मे थाना शिकारपुर पर मुअसं-244/19 धारा 392 भादवि पंजीकृत है। इस अभियोग में अभियुक्त वांछित चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर द्वारा 25,000 रूपये का पुरूस्कार घोषित किया गया था। अभियुक्त व उसका साथी लूटपाट की घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से घूम रहे थे, जिनकी घेराबंदी करने पर उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया, जवाबी कार्यवाही में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। अभियुक्त लोकेश उर्फ भाटी के विरूद्ध विभिन्न थानो पर लूट आदि अपराधो के निम्न अभियोग पंजीकृत है-

अभियुक्त लोकेश उर्फ भाटी का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0-132/15 धारा 392,411 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
2- मु0अ0सं0-363/15 धारा 147,148,149,307 भादवि थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।
3- मु0अ0सं0-370/15 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना शिकारपुर बुलन्दशहर।
4- मु0अ0सं0-790/15 धारा 392,411 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
5- मु0अ0सं0-1003/15 धारा 379,411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।
6- मु0अ0सं0-निल/15 धारा 41/102 दप्रसं व 411 भादवि थाना शिकारपुर बुलन्दशहर।
7- मु0अ0सं0-244/19 धारा 392 भादवि थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर। **(वांछित)**
8- मु0अ0सं0-532/19 धारा 307 भादवि(पुलिस मुठभेड) थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
9- मु0अ0सं0-533/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0-532/19 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड) एवं मु0अ0सं0-533/19 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

1. श्री अरविन्द कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात
2. व0उ0नि0 मौ0 सरताज
3. है0का0 भगवती प्रसाद, का0 संजीव कुमार, का0 विवेक कुमार, का0 कपिल, का0 मोहित मलिक, का0 नीरज त्यागी, का0 चालक सौरभ भाल।